निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1936 (शo)

(सं0 पटना 75) पटना, वृहस्पतिवार, 8 जनवरी 2015

सं0 3ए–2–वे०पु०–18/2009–**275**–वि0

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार,
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक **08 जनवरी 2015**

विषयः– **दिनांक 01/01/2006 को और उसके बाद ए०सी०पी०/एम0ए0सी0पी0 के प्रावधानों के आधार पर वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों/विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर परामर्श/स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाती रही है कि (i) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व ए०सी०पी० प्राप्त कर्मी का वेतनपुनरीक्षण ए०सी०पी० से प्राप्त वेतनमान के प्रतिस्थानी वेतनमान में किया जायेगा अथवा पदधारक के मूल कोटि के वेतनमान में किया जाएगा ? (ii) दिनांक 01/01/2006 से 12/07/2010 तक ए०सी०पी० की स्वीकृति अपुनरीक्षित वेतनमान में अनुमान्य होगी या पुनरीक्षित वेतनमान में अनुमान्य होगी ? तथा (iii) वित्तीय उन्नयन का लाभ वित्तीय उन्नयन की देय तिथि से अनुमान्य होगा या नहीं ?

2. समीक्षा के क्रम में स्पष्ट होता है कि इस सम्बन्ध में वित्त विभागीय पत्रांक–6961 दिनांक 03/07/2012, पत्रांक–8594 दिनांक 17/08/2012 एवं ज्ञापांक–1682 दिनांक19/02/2014 निर्गत है । इन परिपत्रों के अनुसार ए०सी०पी० नियमावली 2003 के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मियों का वेतन दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से उनके मूल कोटि के वेतनमान में पुनरीक्षण किया जाएगा और दिनांक 01/01/2009 जिस तिथि से एम0ए0सी0पी0 लागू किया गया है से पूर्व प्राप्त वित्तीय उन्नयन का प्रतिस्थानी पे–बैंड एवं ग्रेड–पे में निर्धारित वेतन अनुमान्य होगा । इसके अलावे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कर्मी चाहे तो अपुनरीक्षित अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने का विकल्प दे सकता है किन्तु दिनांक 01/01/2006 से 31/12/2008 के बीच देय वित्तीय उन्नयन का लाभ देय तिथि से नहीं अपितु दिनांक 01/01/2009 से दिया जा सकेगा।

3. इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2110, दिनांक 26/02/2010 के द्वारा संकल्प संख्या–630, दिनांक 21/01/2010 की कंडिका–7A(iii) में संशोधन कर निम्नांकित प्रावधान किया गया था–

"Grade-pay corresponding to the existing scale will be payble"

अर्थात् ए०सी०पी० के तहत प्राप्त कर्मी का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01/01/2006 से प्रतिस्थानी स्वीकृत वेतनमान में पुनरीक्षित होगा न कि शिड्यूल–III के अनुसार, जिसमें मूल कोटि का वेतनमान इंगित है।

4. इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि उपर्युकत कंडिका 2 में अंकित अनुदेश वेतन पुनरीक्षण संबंधी संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 में किए गए संशोधन के अनुरूप नहीं है । इस आलोक में एक स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना अपेक्षित हो गया है ।

5. उपर्युक्त के आलोक में ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 के तहत वित्तीय उन्नयन के बाद वेतन निर्धारण की अनुमान्यता को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है–

(i) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व ए०सी०पी० प्राप्त कर्मी का वेतन पुनरीक्षण ए०सी०पी० के वेतनमान के प्रतिस्थानी वेतनमान में किया जाएगा । उदाहरण स्वरूप अगर सहायक संवर्ग के सरकारी सेवक को दिनांक 01/01/2006 के पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी के नियमित प्रोन्नति के पद के अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500/– में प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ अनुमान्य कराया गया है तो ऐसे कर्मी को दिनांक 01/01/2006 से वेतनमान पुनरीक्षण प्रशाखा पदाधिकारी के लिए स्वीकृत प्रतिस्थानी वेतनमान पी0बी0–2+ ग्रेड–पे–4800 में किया जाएगा । अन्य संवर्गो के लिए भी इसी प्रकार नियमित प्रोन्नति के पद के लिए स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान (पे–बैंड एवं ग्रेड–पे) में वेतन निर्धारण किया जायेगा ।

(ii) संकल्प सं0 630 दिनांक 21/01/2010 द्वारा दिनांक–01/01/2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है । अतः उक्त तिथि और 12/07/2010 के बीच ए०सी०पी० देय होने पर सेवा/संवर्ग के प्रोन्नति के पद के लिए संकल्प सं0 630 दिनांक 21/01/2010 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित प्रतिस्थानी वेतन संरचना में वित्तीय उन्नयन अनुमान्य किया जायेगा । उदाहरणस्वरूप अगर बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के किसी कर्मी को दिनांक 01/01/2006 से 12/07/2010 के बीच ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन देय होता है तो ऐसे कर्मी को वित्तीय उन्नयन, अवर सचिव पद सोपान के अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 10,000–15,200/– के पुनरीक्षित प्रतिस्थानी वेतनमान पी0बी0–3+6600/– ग्रेड–पे में देय तिथि से (वास्तविक लाभ दिनांक 01/04/2007 के प्रभाव से ही) अनुमान्य होगा ।

(iii) अगर किसी कर्मी को दिनांक 01/01/2009 से 12/07/2010 के बीच ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के तहत प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमान्य न होकर प्रथम/द्वितीय एम0ए0सी0पी0 देय होता है तो उक्त कर्मी को देय तिथि को प्राप्त वेतनमान के ग्रेड–पे से ठीक उच्चतर ग्रेड–पे में एम0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमान्य होगा । उदाहरणस्वरूप अगर बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के किसी

सहायक को प्रथम एम0ए0सी0पी0 उक्त अवधि के बीच देय होता है तो ऐसे कर्मी को प्रथम वित्तीय उन्नयन, सहायक पद के पुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0–2+ग्रेड पे–4600/– से ठीक उच्चतर ग्रेड–पे–4800 में तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन पी0बी0–2+4800/– से ठीक उपर पी0बी0–2+5400/– ग्रेड–पे अनुमान्य होगा ।

इस स्पष्टीकरण के संदर्भ में वित्त विभाग के पत्रांक–8594 दिनांक 17/08/2012, पत्रांक–6961 दिनांक 03/07/2012 एवं पत्रांक–1682 दिनांक 19/02/2014 को विलोपित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

प्रभात शंकर,

सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 75-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in